UPSTDC

उ.प्र राज्य पर्यटन विकास निगम लि. शिल्पग्राम, आगरा
निकट पूर्वी गेट, ताजमहल, आगरा
(उ.प्र. सरकार के उपक्रम की इकाई)
फोन नं. 0562– 2233056

# ई– निविदा सूचना

**आरक्षित मूल्य 2.66 करोड़**

शिल्पग्राम वाहन पार्किंग निकट पूर्वी गेट ताजमहल आगरा को लाइसेन्स/ ठेके के आधार पर वर्ष 2024–25 हेतु (ठेका स्वीकृत होने की तिथि से एक वर्ष अर्थात 365 दिवस हेतु) दिये जाने के सम्बन्ध में इच्छुक अनुभवी ठेकेदार / संस्था से ई– टेण्डर पोर्टल **http://etender.up.nic.in** के माध्यम से दिनांक 21.03.2024 के सायं 03 बजे तक ई– निविदा आमंत्रित है इच्छुक व्यक्ति / फर्म ई– निविदा (बिड नियम एवं शर्तो सहित) ई– निविदा पोर्टल **http://etender.up.nic.in** पर अपलोड कर सकते हैं। ऑफ लाइन निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा वांछित प्रपत्रों के आभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र नियम व शर्ते तथा निविदा प्रपत्र ई– टेण्डर पोर्टल पर उपलब्ध है। ठेके का आरक्षित मूल्य 2,66,00,000/– (दो करोड़ छियासठ लाख मात्र) जिस पर नियमानुसार कर अतिरिक्त देय होगा। ई– निविदा प्रपत्र मूल्य रू. 5900/– (पाँच हजार नौ सौ मात्र) जी.एस.टी. सहित नॉन रिफण्डेबल एवं धरोहर धनराशि रू. 13,00,000/– (तेरह लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में **U.P.S.T.D.C.LTD** के पक्ष में आगरा पर देय तथा प्रपत्रों की स्कैन कॉपी ई– टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ई– निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में संलग्न कर स्व प्रमाणित छाया प्रतियों सहित शिल्पग्राम आगरा कार्यालय में दिनांक 21.03.2024 को सायं 5 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। प्राप्त निविदायें दिनांक 22.03.2024 को अपरान्ह 01 बजे कलेक्ट्रेट आगरा में समिति के समक्ष खोली जायेंगी। अधिकतम स्वीकृत निविदा के वार्षिक मूल्य का 5% परफोरमेन्स सिक्योरिटी के रूप में अतिरिक्त जमा कराना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निगम प्रबन्ध को होगा।

प्रबन्धक, शिल्पग्राम आगरा

## ई–निविदा प्रपत्र

## शिल्पग्राम वाहन पार्किंग वर्ष 2024–25

**सेवा में,**

**प्रबन्धक,**

**शिल्पग्राम,**

**उ॰प्र॰ राज्यं पर्यटन विकास निगम लि॰**

**पूर्वीगेट ताजमहल के समीप, आगरा**

| |
|---|
| निविदादाता के फोटों के लिए स्थान |

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र ............................ में दिनांक ...................... को समाचार पत्र में प्रकाशित शिल्पग्राम वाहन पार्किंग को लाइसेंस के आधार पर दिये जाने हेतु निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार मैं सभी वांछित प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न कर कार्यालय में जमा कर रहा हूँ तथा स्कैन कॉपी ई–निविदा के साथ अपलोड की गयी है।

मैने संलग्न समस्त नियम व शर्तो को भली भांति पढ़ लिया है, सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ ई–निविदा डाल रहा हूं तथा मुझे निगम की समस्त नियम व शर्तें मान्य हैं।

**संलग्नक :**

भवदीय

निविदादाता के हस्ताक्षर –

निविदादाता का पूरा नाम –

स्थाई पता –

मोबा. नं0 –

ई–मेल आई.डी. –

Manager
SHILPGRAM, AGRA

## शिल्पग्राम वाहन पार्किंग हेतु अर्हताएं

1. ई–निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की ज़ायेगी। ई–निविदा का मूल्य रूपये 5000/– एवं 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित (रू. 5900/–), का बैंक ड्राफ्ट उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 आगरा में देय की स्कैन कॉपी ई–टेण्डर के साथ अपलोड करना तथा ड्राफ्ट की मूल कॉपी शिल्पग्राम कार्यालय में जमा क़रना अनिवार्य है।

2. **यदि निविदादाता स्वयं अथवा प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम से निविदा अपलोड करता है तो उसे निम्न निविदादाता के अभिलेख अपलोड करने अनिवार्य होंगे :–**

   1. निविदादाता का पैन कार्ड।
   2. निविदादाता का आधार कार्ड।
   3. निविदादाता का जी.एस.टी. पंजीकरण नम्बर का प्रमाण पत्र।
   4. निविदादाता का शॉप एवं इस्टेबलिस्मेन्ट का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
   5. निविदादाता का जिलाधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
   6. निविदादाता का जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त रू0 पचास लाख की धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र।
   7. निविदादाता का फोटो।
   8. निविदादाता का विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न।
   9. निविदादाता का पार्किंग संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
   10. निविदादाता का किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न किये जाने तथा निविदा में अपलोड किये गये सभी प्रपत्र सही होने का शपथ पत्र तथा प्रोपराइटरशिप अथवा एकल निविदादाता की स्थिति में यदि कोई शारीरिक अक्षमता अथवा मृत्यु होने की दशा में उसके लीगल उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी होगी, जिससे सम्बन्धित शपथ–पत्र भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

**पार्टनरशिप फर्म अथवा एल.एल.पी. निविदादाताओं हेतु निम्न अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा :–**

1. फर्म/एल.एल.पी. की डीड
2. फर्म/एल.एल.पी. का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
3. फर्म/एल.एल.पी. का पैन कार्ड।
4. फर्म/एल.एल.पी. का जी.एस.टी. पंजीकरण नम्बर का प्रमाण पत्र।

(क्रमशः........... पेज 2)

Manager
SHILPGRAM, AGRA

5. फर्म/एल.एल.पी. का शॉप एवं इस्टेबलिस्मेन्ट का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
6. फर्म/एल.एल.पी. के प्रत्येक साझीदार का पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एवं जिलाधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
7. फर्म/एल.एल.पी. का विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न।
8. किसी एक साझीदार को अधिकृत करते हुए अथॉर्टी लेटर।
9. फर्म/एल.एल.पी. नेटवर्थ रू0 50 लाख।

   **नेटवर्थ की परिभाषा :– कैपिटल + रिजर्व एण्ड सप्लाई विगत वर्ष की सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट से (एक्सक्लूडिंग रिवैल्युएशन रिजर्व)**
10. फर्म/एल.एल.पी. का पार्किंग संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
11. फर्म/एल.एल.पी. का किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न किये जाने तथा निविदा में अपलोड किये गये सभी प्रपत्र सही होने का शपथ पत्र।

**कम्पनी वाले निविदादाताओं हेतु निम्न अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा :–**

1. कम्पनी का एम.ओ.ए. एवं ए.ओ.ए.
2. कम्पनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
3. कम्पनी का पैन कार्ड।
4. कम्पनी का जी.एस.टी. पंजीकरण नम्बर का प्रमाण पत्र।
5. कम्पनी. का पार्किंग संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
6. कम्पनी का किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न किये जाने तथा निविदा में अपलोड किये गये सभी प्रपत्र सही होने का शपथ पत्र।
7. कम्पनी का शॉप एवं इस्टेबलिस्मेन्ट का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
8. कम्पनी में वर्तमान में तैनात निदेशकों की सूची।
9. कम्पनी का किसी एक निदेशक को अधिकृत करते हुए अथॉर्टी लेटर।
10. कम्पनी का विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न।
11. कम्पनी नेटवर्थ रू0 50 लाख।

    **नेटवर्थ की परिभाषा :– कैपिटल + रिजर्व एण्ड सप्लाई विगत वर्ष की सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट से (एक्सक्लूडिंग रिवैल्युएशन रिजर्व)**

**नोट :–**

- संविधान में परिवर्तन होने की स्थिति में तत्काल तीन दिवसों के भीतर उक्त की लिखित सूचना यू.पी.एस.टी.डी.सी. लि. को देना अनिवार्य होगा।

Manager
SHILPGRAM, AGRA

(क्रमशः........... पेज 3)

3. किसी भी प्रपत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। समस्त मांगे गये प्रपत्रों में लागू वैधंता की अवधि दिनांक सहित स्पष्ट होना आवश्यक है। समस्त प्रमाण पत्रों का निविदा खोलने की तिथि को वैध होना आवश्यक है। साथ ही किसी ठेकेदार के द्वारा यदि किसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है तो वह मान्य नहीं होगा तथा उक्त निविदा पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। अपलोड एवं जमा किये गये प्रपत्रों की जाँच सम्बन्धित विभाग से कराये जाने पर यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो तत्काल ठेका निरस्त करते हुए समस्त धनराशि जब्त कर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

4. किसी भी सशर्त निविदा पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

5. निविदा एक वर्ष अर्थात् 365 दिन (लाइसेन्स स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष) की अवधि हेतु एक मुश्त धनराशि का उल्लेख निविदादाता को निविदा में करना अनिवार्य है।

6. निविदा का आरक्षित मूल्य रू0 2,66,00,000/– (रूपया दो करोड़ छियासठ लाख मात्र) है। समस्त कर अतिरिक्त देय होंगे यथा जी0एस0टी0 18 प्रतिशत एवं टी0सी0एस0 2 प्रतिशत है।

7. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के प्रबन्धतंत्र को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह एक अथवा समस्त निविदाओं को कोई कारण बताए बिना पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त कर दें।

8. जिस निविदादाता के पक्ष में लाइसेन्स स्वीकृत किया जायेगा उसके द्वारा निविदा के साथ धरोहर के रूप में जमा धनराशि रूपये 13,00,000/– (तेरह लाख रूपये) (रू0 6,66,667/– धरोहर राशि + रू0 1,20,000/– जी0एस0टी0 + रू0 13,333/– टी0सी0एस0 + 5,00,000/– प्रतिभूति) में से रूपये 5,00,000/– को प्रतिभूति के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा। प्रतिभूति की यह धनराशि लाइसेन्स की पूर्ण अवधि तक संतोषजनक ढंग से लाइसेन्स समाप्ति के उपरान्त लाइसेन्सी को वापस कर दी जायेगी। इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। पार्किंग स्थल/निगम को लाइसेन्सी द्वारा पहुँचाई गई किसी क्षतिपूर्ति, हर्जाने एवं विलम्ब से भुगतान हेतु देय ब्याज की धनराशि को प्रतिभूति की धनराशि से वसूलने हेतु निगम प्रबन्धतंत्र स्वतंत्र होगा एवं शेष रूपये 6,66,667/– (छः लाख छियासठ हजार छः सौ सढ़सठ रूपये मात्र) स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के सापेक्ष अन्तिम किस्त के भुगतान में समायोजित की जायेगी। अधिकतम निविदा स्वीकृत धनराशि के वार्षिक योग पर 5% परफॉरमेंस सिक्योरिटी भी निविदादाता को जमा करनी होगी जो लाइसेंसी का ठेका पूर्ण होने पर बिना किसी ब्याज के मूल राशि वापस कर दी जायेगी।

Manager
SHILPGRAM, AGRA

(क्रमशः ...................... पेज 4)

9. लाइसेन्स स्वीकृत होने की दशा में लाइसेन्सी को आदेश प्राप्त होने की तिथि से लाइसेन्स की सम्पूर्ण धनराशि निम्नानुसार नौ किस्तों में निगम को भुगतान करना अनिवार्य होगा। निम्नानुसार समस्त अग्रिम किस्तों की धनराशि के अग्रिम चैक ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व कार्यालय में जमा कराये जाने होंगे।

(अ) प्रथम किस्त–स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के पच्चीस प्रतिशत (25%) के समतुल्य धनराशि का भुगतान लाइसेन्स का कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व करना अनिवार्य होगा।

(ब) द्वितीय किस्त–स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के दस प्रतिशत (10%) के समतुल्य धनराशि का भुगतान लाइसेन्स का कार्य प्रारम्भ होने की तिथि के आगामी माह की 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

(स) तृतीय किस्त–स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के दस प्रतिशत (10%) के समतुल्य धनराशि का भुगतान द्वितीय किस्त की देय तिथि के आगामी माह की 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

(द) चतुर्थ किस्त–स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के दस प्रतिशत (10%) के समतुल्य धनराशि का भुगतान तृतीय किस्त की देय तिथि के आगामी माह की 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

(य) पाँचवीं किस्त–स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के दस प्रतिशत (10%) के समतुल्य धनराशि का भुगतान चतुर्थ किस्त की देय तिथि के आगामी माह की 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

(र) छठवीं किस्त–स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के दस प्रतिशत (10%) के समतुल्य धनराशि का भुगतान पंचम किस्त की देय तिथि के आगामी माह की 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

(ल) सातवीं किस्त–स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के दस प्रतिशत (10%) के समतुल्य धनराशि का भुगतान छठी किस्त की देय तिथि के आगामी माह की 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

(व) आठवीं किस्त–स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के दस प्रतिशत (10%) के समतुल्य धनराशि का भुगतान सातवीं किस्त की देय तिथि के आगामी माह की 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

(श) नवीं किस्त–स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के पांच प्रतिशत (5%) के समतुल्य धनराशि का भुगतान आठवीं किस्त की देय तिथि के आगामी माह की 01 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

10. निविदा स्वीकृत की कुल धनराशि को नियम एवं शर्त संख्या–10 में उल्लिखित समय के अन्दर जमा न होने पर स्वीकृत लाइसेन्स को निरस्त करते हुए समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा बकाया धनराशि की वसूली 18% ब्याज/विलम्ब शुल्क के साथ करने का अधिकार निगम प्रबन्ध को होगा।

Manager
SHILPGRAM, AGRA

(क्रमशः ...................... पेज 5)

11. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी, उसे निविदा स्वीकृत होने के तिथि से छः कार्य दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से निगम के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर अनुबन्ध/डीड को उपमहानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय, आगरा मण्डल, आगरा के यहाँ रजिस्टर्ड/पंजीकृत कराना होगा तथा अनुबंध प्रपत्र पर निविदादाता का फोटो भी लगाया जायेगा। ऐसा न करने की दशा में स्वीकृत लाइसेन्स को निरस्त करते हुये जमा धरोहर धनराशि जब्त करने का अधिकार निगम प्रबन्धं का होगा। उक्त अनुबंध पर होने वाला व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।

12. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निर्धारित दिनांक व समय से पार्किंग स्थल की व्यवस्था लाइसेन्सी द्वारा स्वयं अथवा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी। व्यवस्था समय से आरम्भ न करने पर, उक्त व्यवस्था निगम प्रबन्ध द्वारा स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से सुनिश्चित कराई जायेगी एवं इस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय/क्षति की पूर्ति लाइसेन्सी से की जायेगी एवं जमा समस्त धनराशि के जब्त किये जाने का अधिकार निगम प्रबन्धतन्त्र को होगा ऐसी स्थिति में निगम प्रबन्धतंत्र पुनः निविदा द्वारा लाइसेन्स आवंटित करने हेतु भी स्वतंत्र होगा।

13. लाइसेन्सी द्वारा पार्किंग व्यवस्था व उसके विरूद्ध वसूली, मात्र पार्किंग स्थल तक ही सीमित होगी। वाहन शिल्पग्राम में निर्धारित पार्किंग में ही खड़े किये जायेंगे, शिल्पग्राम परिसर के अन्य स्थानों पर पार्किंग वर्जित होगी। अर्थात् लाइसेन्सी का अधिकृत कार्यक्षेत्र मात्र पार्किंग स्थल ही है।

14. पार्किंग के स्थल के भीतर अथवा उससे लगी दीवार अथवा बाह्य परिसर में कोई भी स्टॉल, पी.सी.ओ., ठेला, बिक्री केन्द्र, प्रचार व्यवस्था आदि बिना निगम प्रबन्धतंत्र की पूर्व लिखित स्वीकृति के स्थापित नहीं की जायेगी। इसका अनुपालन लाइसेन्सी अपने स्तर से सुनिश्चित करायेंगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की लिखित सूचना तत्काल निगम प्रबन्धतंत्र को देंगे।

15. पार्किंग स्थल अथवा अन्यत्र लाइसेन्सी द्वारा कोई अनाधिकृत दुकान, शोरूम, बिक्री केन्द्र, स्टॉल, ठेला अथवा वेन्डर आदि को प्रोत्साहित अथवा सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा, न ही पार्किंग स्थल में अनावश्यक रूप से कन्वेसर, हॉकरों, लपकों, गाइडों, भिखारियों आदि को घूमने/कार्य करने की छूट प्रदान की जायेगी। मात्र निगम मुख्यालय द्वारा अनुमन्य गाइड ही निर्धारित स्थल पर बैठ सकेंगे।

16. लाइसेन्सी द्वारा सामान्यतः पार्किंग स्थल का संचालन प्रातः 6:00 बजे से सायं 8:00 बजे अथवा शिल्पग्राम में आयोजित कार्यक्रमों के अनुसार निर्धारित समयानुसार अथवा भविष्य में निर्धारित किये जाने वाले समयानुसार ही पार्किंग स्थल में अपनी व्यवस्था की जायेगी।

(क्रमशः........... पेज 6)

Manager
SHILPGRAM, AGRA

17 निगम प्रबन्धतंत्र पार्किंग पर एवं तत्सम्बन्धी कोई सूचनापट अथवा तद्सम्बन्धी कोई सूचना का प्रसारण पार्किंग स्थल अथवा अन्यत्र स्थापित, उद्घोषित कराने हेतु स्वतंत्र होगा तथा तद्नुसार अनुपालन लाइसेन्सी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

18. शिल्पग्राम वाहन पार्किंग स्थल पर स्थित स्टाल्स/किओस्क्स/कक्ष एवं टायलेट्स आदि को किसी भी कार्यालय अथवा वाणिज्यक प्रयोग हेतु किसी व्यक्ति/संस्था को आबंटित करने हेतु निगम प्रबन्धतंत्र स्वतंत्र होगा।

19. पार्किंग स्थल में पर्यटन सूचना, पर्यटकों को निगम की इकाईयों, कन्डेक्टेड टूअर तथा स्थानीय सुविधाओं हेतु आरक्षण प्रदान करने अथवा तत्सम्बन्धी सूचना केन्द्र/कार्यालय स्थापित करने हेतु निगम प्रबन्धतंत्र स्वतंत्र होगा।

20 पार्किंग स्थल में व्यवस्थित कार्यप्रणाली हेतु लाइसेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त हेतु उसे सभी आवश्यक व्यवस्था, स्टाफ आदि लाइसेन्सी अपने स्तर से अपने खर्चे पर स्वयं सुनिश्चित करनी होगी।

21. शिल्पग्राम स्थित पार्किंग स्थल, चैक पोस्ट आदि से सम्बन्धित कार्यकलापों का निरीक्षण तथा शर्तों के अनुसार नियन्त्रण रखने में निगम प्रबन्धतंत्र चैकिंग करने हेतु स्वतंत्र होगा।

22. पार्किंग स्थल के वाहनों एवं उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी। वाहन के गुम होने, बदल जाने अथवा उसकी सम्पत्ति को कोई हानि/क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति लाइसेन्सी द्वारा की जायेगी।

23. विशेष परिस्थितियों में प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य पर्यटन निगम लि० को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकते हैं। उक्तानुसार लाइसेन्स समाप्ति की दशा में लाइसेन्सी को क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा परन्तु ऐसी दशा में लाइसेन्सी को अवशेष अवधि की अनुपातिक धनराशि निगम द्वारा वापस की जायेगी। लाईसेंसी को पार्किंग का संचालन अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप पूर्ण अवधि में करना होगा। वह अपने किसी निजी अथवा अन्य कारणों का हवाला देकर संचालन बीच में बन्द नहीं कर सकता है। यदि लाईसेंसी द्वारा संचालन बीच में बन्द किया जाता है तो उसे अनुबन्ध के अनुसार ठेके की समस्त धनराशि जमा करानी होगी। धनराशि जमा न करने पर अवशेष धनराशि की वसूली धरोहर राशि एवं भू–राजस्व वसूली नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

24. विशेष परिस्थितियों में अथवा जनहित में पार्किंग स्थल/क्षेत्र में यथावांछित परिवर्तन करने का अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा।

25. विशेष परिस्थितियों अथवा जनहित में वाहनों से ली जाने वाली दरों में परिवर्तन करने का अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक को होगा।

(क्रमशः........... पेज 7)

Manager
SHILPGRAM, AGRA

26. यदि भविष्य में माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय/विकास प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इस पार्किंग स्थल के सम्बन्ध में कोई भी आदेश/निर्देश पारित किये जाते हैं, जिससे यह पार्किंग स्थल प्रभावित हो, तो ऐसी दशा में माननीय न्यायालय/शासन के आदेशानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी, जो लाइसेन्सी को मान्य होगी व उस पर बाध्य होगी और इस सम्बन्ध में लाइसेन्सी किसी भी प्रकार का हर्जाना उ॰ प्र॰ राज्य पर्यटन निगम लि॰ से नहीं पा सकेगा।.

27. लाइसेन्सी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन निर्धारित स्थल पर तथा इस प्रकार खड़े हो कि यातायात के संचालन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो या ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित न हो इस सम्बन्ध में उसे पुलिस/प्रशासन/निगम प्रबन्धतंत्र के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

28. लाइसेन्सी अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी वाहन मालिक के साथ तथा पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार अथवा झगड़ा–फसाद आदि नहीं करेंगे। इसका पूर्ण दायित्व लाइसेन्सी का ही होगा।

29. शर्तों के बारे में विवाद होने पर प्रबन्ध निदेशक, उ॰ प्र॰ राज्य पर्यटन विकास निगम लि॰ को आर्बिटेशन हेतु विवाद भेजा जायेगा, उनका निर्णय ही अन्तिम एवं दोंनों पक्षों को मान्य होगा तथा अन्तिम निर्णय आर्बिटेशन एक्ट के अनुसार किया जायेगा।

30. लाइसेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/सबलेटिंग नहीं करेगा। ऐसा करने की दशा में लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

31. लाइसेन्सी प्रत्येक वाहन के लिये सीरियल नम्बर सहित 3 प्रतियों में टिकट/कूपन रखेगा, जिसमें से एक वाहन पर चिपकायेगा, दूसरा वाहन मालिक को दिया जायेगा तथा तीसरा लाइसेन्सी द्वारा स्वयं रखा जायेगा। इन टिकट/कूपन पर वाहन का प्रकार, नम्बर, दिनांक, समय व चार्ज की गयी धनराशि का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में होगा इस हेतु लाइसेन्सी द्वारा एक रजिस्टर भी रखा जायेगा जिसमें वाहन संख्या एवं टिकट संख्या आदि का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा।

32. शिल्पग्राम स्थित पार्किंग स्थल की पर्याप्त प्रकाश/विद्युत व्यवस्था हेतु विद्युत कनेक्शन, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था एवं समुचित रख–रखाव, पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन लगवाने का दायित्व लाइसेन्सी का होगा तथा इस सम्बन्ध में होने वाले समस्त व्यय का वहन लाइसेन्सी द्वारा स्वयं किया जायेगा। पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार की टूट–फूट होने पर लाईसेंसी द्वारा उसकी तत्काल मरम्मत कराई जायेगी। निरीक्षण के दौरान यदि पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार की गंदगी अथवा टूट–फूट पायी जाती है जो लाईसेंसी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा उसकी क्षतिपूर्ति धरोहर की धनराशि से की जायेगी।

(क्रमशः........... पेज 8)

Manager
SHILPGRAM, AGRA

33. वाहन पार्किंग लाइसेन्स संचालन के सम्बन्ध में नियमानुसार जी.एस.टी., टी.सी.एस. अथवा भविष्य में यदि कोई अन्य कर देय होगा तो उसका भुगतान समय से लाइसेन्सी को करना होगा।

34. शिल्पग्राम वाहन पार्किंग स्थल पर सफाई व्यवस्था लाइसेन्सी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में होने वाले समस्त पानी, विद्युत उपभोग एवं सफाई व्यवस्था के विरूद्ध व्ययों को लाइसेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। विद्युत कनेक्शन लिये जाने तक लाइसेन्सी द्वारा यदि शिल्पग्राम वाहन पार्किंग में स्थापित लाइटों एवं विद्युत का उपभोग किया जाता है तो लाइसेन्सी को उक्त सुविधा हेतु रू. 15000/– प्रति माह या सब मीटर के अनुसार प्राप्त रीडिंग के सापेक्ष धनराशि (जो भी अधिक हो) का भुगतान मासिक आधार पर प्रत्येक माह की 1 तारीख को किया जाना होगा। यदि लाइसेंसी द्वारा अपने कार्यालय आदि प्रयोग हेतु यदि शिल्पग्राम परिसर में उपलब्ध स्थान/कक्ष का उपयोग किया जाता है तो उसके लिए रू0 15000/– प्रति माह एवं जी.एस.टी. अतिरिक्त रूप से देय होगा। यदि उक्त स्थान पर वातानुकूल संयंत्र का प्रयोग किया जाता है तो रू. 5000/– प्रति माह एवं जी.एस.टी. अतिरिक्त रूप से लाइसेंसी को भुगतान करना होगा।

35. पर्यटन निगम के अथवा उसके द्वारा अधिकृत वाहनों तथा पर्यटन विभाग की इकाई होटल ताज खेमा आने वाले वाहनों पर कोई वाहन शुल्क देय नहीं होगा तथा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित बैटरी बसें पार्किंग से संचालित होंगी तथा उनके द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होगा।

36. शिल्पियों, शिल्पग्राम में कार्यरत कर्मचारियों अथवा अधिकृत विक्रय केन्द्रों अथवा आमन्त्रित व्यक्तियों हेतु पार्किंग दरें निगम प्रबन्धतंत्र द्वारा पृथक से समयानुसार निर्धारित की जायेगी एवं तदनुसार ही ठेकेदार द्वारा दरें चार्ज की जायेंगी

37. लाइसेन्सी द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों का नियोजन लाइसेन्स के संचालन हेतु किया जायेगा जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो। इस सम्बन्ध में लाइसेन्सी को उसके द्वारा नियोजित कर्मचारियों से इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा कि वे कभी भी किसी अपराधिक गतिविधियों एवं दुराचरण में लिप्त नहीं रहे हैं। लाइसेन्स हेतु नियोजित कर्मचारियों की सूची कर्मचारियों के पूर्ण नाम एवं पते के सहित निगम को उपलब्ध कराना होगा। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने पर निगम को तत्काल सूचित किया जायेगा। नियोजित कर्मचारियों को लाइसेन्सी द्वारा नवीनतम फोटोग्राफ के साथ परिचय–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा जो सदैव कर्मचारी अपने पास रखेगा एवं कार पार्किंग स्थल/शिल्पग्राम में ड्यूटी के समय बैज लगाने के स्थान पर लगाकर रखेगा। समस्त कर्मचारी निर्धारित वर्दी में होंगे।

38. वाहन पार्किंग स्थल पर लाइसेन्सी द्वारा उद्घोषणा हेतु स्वयं के व्यय पर माइक स्पीकर लगवाने होंगे।

(क्रमशः........... पेज 9)

Manager
SHILPGRAM, AGRA

39. लाइसेन्सी को निम्न दरों को अंकित करते हुए टिकट/कूपन की व्यवस्था करनी होगी, तद्नुसार ही धनराशि वाहन मालिकों से वसूल की जायेगी :–

| | वाहन | पार्किंग दरें |
|---|---|---|
| 1. | साईकिल | रु. 5.00 |
| 2. | रिक्शा/स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड | रु. 20.00 |
| 3. | ऑटो रिक्शा | रु. 20.00 |
| 4. | ऊँट गाड़ी/तांगा/बग्घी | रु. 15.00 |
| 5. | कार | रु. 100.00 |
| 6. | टैक्सी/वैन/मैटाडोर/टाटा सूमो/बैटरी टैम्पो | रु. 100.00 |
| 7. | मिनी कोच | रु. 200.00 |
| 8. | लार्ज कोच/ट्रक | रु. 250.00 |

उपरोक्त दरों में जी.एस.टी. सम्मिलित है तथा उक्त दरें 4 घंटे हेतु मान्य होगी। उक्त दरों के चार बोर्ड जो कि आसानी से पढ़े जा सके, पार्किंग में ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगाये जाने होंगे। लाइसेन्सी द्वारा उक्त निर्धारित दरों से अधिक दरें चार्ज किये जाने की शिकायत की पुष्टि होने पर अन्य दण्डात्मक कार्यवाही के साथ निर्धारित दर की धनराशि से दस गुना अर्थदण्ड वसूलने, लाइसेन्स को निरस्त करने तथा जमा समस्त धनराशि को जब्त करने की कार्यवाही हेतु निगम प्रबन्ध तंत्र स्वतंत्र होगा।

40. लाइसेन्सी द्वारा पार्किंग स्थल पर कोई अवैधानिक/अनैतिक गतिविधियों का संचालन/संरक्षण नहीं किया जायेगा।

41. पार्किंग स्थल पर अवांछनीय तत्वों के प्रवेश पर लाइसेन्सी समुचित नियन्त्रण रखेगा एवं इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

42. लाइसेन्सी शिल्पग्राम वाहन पार्किंग में वाहन स्वामी को दी जाने वाली रसीद/कूपन/पर्ची पर आगरा सर्किट की इकाईयों के प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित सामग्री प्रिन्ट करायेगा। जिसका खर्चा स्वयं लाइसेन्सी द्वारा वहन करना होगा।

43. विशिष्ठ एवं अति विशिष्ठ अतिथियों की सुरक्षा के दृष्टिगत शिल्पग्राम वाहन पार्किंग स्थल के सम्बन्ध में पुलिस, प्रशासन एवं निगम प्रबंधतंत्र के निर्देशों का अनुपालन लाइसेन्सी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में लाइसेन्सी किसी भी प्रकार की छूट/हर्जाना/क्षतिपूर्ति उ॰ प्र॰ राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से नहीं पा सकेगा।

(क्रमशः............ पेज 10)

Manager
SHILPGRAM, AGRA

44. लाइसेन्सी द्वारा उपरोक्त समस्त नियम/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक नियम एवं शर्तों का लाइसेन्सी द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अथवा प्रासंगिक किसी कानून का उल्लंघन किये जाने पर अथवा शासकीय तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से अनुपालन न किये जाने पर अथवा संतोषजनक सेवा व व्यवस्था प्रदान न करने की स्थिति में जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए लाइसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा ऐसी दशा में लाइसेन्सी को कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा देय नहीं होगा।

45. लाइसेन्स की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर अथवा निविदा की नियम एवं शर्तों के बिन्दु 9, 10, 11, 23, 30, 44 के अनुसार ठेका समाप्त होने पर निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह पार्किंग स्थल का शान्तिपूर्ण कब्जा निगम द्वारा निर्धारित समय अवधि के अन्दर निगम को हस्तगत करने हेतु बाध्य होगा। ऐसा न करने की दशा में निगम प्रबन्ध को यह स्वतंत्रता होगी कि वह विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार पार्किंग स्थल का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।

47. यदि लाइसेन्सी पर किसी प्रकार का बकाया रह जाता है तो उसकी वसूली भू–राजस्व की भाँति की जायेगी। इस पर जो भी अतिरिक्त व्यय भार होगा उसे लाइसेन्सी को वहन करना होगा।

48. लाइसेन्सी द्वारा पार्किंग लाइसेन्स की भुगतान की जाने वाली राशि पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत टी.सी.एस. एवं जी.एस.टी. की धनराशि पृथक से देय होगी।

49. एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त निविदा डालने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की प्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा साथ ही समस्त साझीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। लाईसेंसी से किसी भी प्रकार का पत्राचार/सूचना आदि डॉक द्वारा (स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड) एवं ई–मेल से किया जायेगा। अतः प्रपत्र पर सम्पूर्ण डॉक का पता एवं ई–मेल आई.डी. स्पष्ट अंकित करना होगा।

50. उक्त के अतिरिक्त यदि कोई बिन्दु जो कि नियम व शर्तो में उल्लिखित नही है, संज्ञान में आता है, और उसका पालन करना आवश्यक है, तो ऐसी दशा में लाईसेंसी को उस बिन्दु से लिखित रूप से अवगत कराया जायेगा तथा उसे अनुबंध की नियम व शर्तो में समायोजित माना जायेगा।

51. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र आगरा होगा।

(क्रमशः........... पेज 11)

Manager
SHILPGRAM, AGRA

52. यदि ठेकेदार द्वारा ठेके का संचालन वर्ष भर संतोषजनक एवं सुचारु रूप से किया जाता है एवं निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुए धनराशि समय से जमा कर दी जाती है तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से वर्तमान वर्ष के ठेके की धनराशि में न्यूनतम 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आगामी वर्षों हेतु ठेके का नवीनीकरण वर्तमान ठेकेदार के पक्ष में करने पर विचार किया जा सकेगा।

53. उक्त लाइसेन्स में शिल्पग्राम में लगने वाले ताज महोत्सव या अन्य आयोजन के मेले की अवधि की पार्किंग का लाइसेन्स भी सम्मिलत होगा तथा महोत्सव अवधि में ताज महोत्सव समिति अथवा जिला प्रशासन द्वारा यदि पार्किंग स्थल का उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता है तो मेला अवधि के लिए वैकल्पिक पार्किंग स्थल की व्यवस्था तथा वैकल्पिक पार्किंग स्थल पर होने वाली समस्त व्यवस्थाएं यथा बिजली, बैरिकेटिंग, सफाई, पानी का छिड़काव आदि ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी तथा इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति लाईसेंसी को देय नहीं होगी।

54. आवंटित ठेके की अवधि में किसी भी कारणवश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) भारत सरकार द्वारा स्मारक बन्द किये जाने की स्थिति में ठेके की धनराशि में बन्दी अवधि का अनुपातिक रूप से शुल्क माफ कर दी जायेगी। इसमें साप्ताहिक बन्दी शामिल नहीं होगी।

55. यदि किसी फर्म/व्यक्ति का टेण्डर जमा करने की अन्तिम तिथि तक निगम का कोई अवशेष है तो उसको टेण्डर प्रक्रिया में प्रतिभाग लेने की अनुमति नहीं होगी और यदि वह प्रतिभाग करता है तो उसकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

56. यदि किसी निविदादाता के विरूद्ध निगम की कोई भी धनराशि अवशेष है तो उसकी निविदा पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

(प्रबन्धक)
शिल्पग्राम, आगरा
Manager
SHILPGRAM, AGRA